

उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या-क0नि0-2-319/ग्यारह-9(135)/13-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(151)-2016
लखनऊ: दिनांक: 03 मार्च, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची-एक में दिनांक 04 मार्च, 2016 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

उक्त अनुसूची-एक में, कम संख्या 13 की प्रविष्टि में, अर्धविराम और शब्द
" ; एल0ई0डी0 बल्ब" अन्त में बढ़ा दिये जायेंगे।

आज्ञा से,



(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।